



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार-249404

संख्या: 364/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक : 15 फरवरी, 2024

### अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान (Home Science) विषयान्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के क्रम में अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूची के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 तक समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए मा0 आयोग द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदनों के क्रम में अन्तिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों का प्रत्यावेदन निस्तारण निम्नवत् किया गया है:-

क्र0	अनुक्रमांक	कार्यालय टीप
(1)	(2)	(3)
1.	512723	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
2.	512730	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
3.	512896	1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित अनर्हता सूची के सापेक्ष पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 प्रस्तुत नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि 18.12.2023 के पश्चात् पुनः प्रत्यावेदन दिनांक 18.01.2024 प्रस्तुत किया गया था। जिसको मा0 आयोग द्वारा अन्तिम तिथि 18.12.2023 के पश्चात् प्रस्तुत करने के कारण मान्य नहीं किया गया है। 3. तद्क्रम में अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
4.	512908	1. अभ्यर्थी अवार्ड का दावा किया गया है। विषय-विशेषज्ञों द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसके क्रम में अवार्ड के 03 अंक के स्थान पर 00 (शून्य) प्रदान किये गये हैं। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 55 के स्थान पर 52 होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति/उ0 महिला श्रेणी API कटऑफ स्कोर 55 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करती है। 2. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित अनर्हता सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 18.12.2023 के साथ ICAR-JRF/SRF का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भी उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया

		<p>गया है। जिसका विषय-विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। जिसको मान्य नहीं किया गया है।</p> <p>3. तद्क्रम में अवार्ड के दावे के सापेक्ष कोई भी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी गृह विज्ञान विषय की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति/उ0महिला श्रेणी की ए0पी0आई0 कट-ऑफ में स्थान धारित न किये जाने के कारण मा0 आयोग द्वारा अन्तिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
5.	513244	<p>उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
6.	513254	<p>उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
7.	513298	<p>उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 18 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>

**-Sd/**  
**(गिरधारी सिंह रावत)**  
**सचिव।**